बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक.....

विषयः— उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उच्च जातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर परिवारों के मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं ऐसे परिवारों के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की स्वीकृति के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 314 दिनांक 31.01.2011 द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया गया है।

2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य के उच्च जातियों में उच्च जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण एशियन डेवलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री) से कराते हुए, उससे प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपनी अनुशंसा आयोग के ज्ञापांक 196 दिनांक 17.04.2015 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च जातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना तथा मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंसा की गयी है।

3. राज्य की उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के कक्षा-01 से कक्षा-10 तक की छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व से ही दिया जा रहा है।

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नवत् दिये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(i) राज्य की उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के परिवार से आने वाले छात्रों जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है, को भी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रू0 10,000/—(दस हजार) की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान की जाय, यदि उनकी पारिवारिक आय रू0 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार) प्रति वर्ष से कम हो;

(ii) शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के कक्षा-01 से कक्षा-10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना भी चलायी जाय जिसके अंतर्गत रू0 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार) से कम प्रति वर्ष पारिवारिक आय वाले छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा;

(iii) आयोग द्वारा स्वीकृत "आद्री" के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर सभी संबंधित विभागों से विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

5. शिक्षा विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा उक्त से संबंधित योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्/उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21/उ0जा0रा0आ0–03–13/2014, सा0प्र0...../पटना 15, दिनांक .....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 50 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21/उ0जा0रा0आ0–03–13/2014, सा0प्र0 6267 पटना 15, दिनांक 28.4.15

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग/शिक्षा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय स्थानीय निकायों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें।

28/4/2015

सरकार के अपर सचिव।